न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

बनाम

1. गोपी पिता धन्ना बलाई निवासी बासंडा तहसील भीलवाडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.08.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बांसडा तहसील भीलवाडा की आ.न. 33/5 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 12.04.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 27.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बांसडा तहसील भीलवाड़ा की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

आ.न. 33/5 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन नियमानुसार हुआ हैं तथा गैर खातेदारी हक से दर्ज हुयी हैं, किन्तु उक्त आराजियात को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिये थे। क्योंकि अप्रार्थी उक्त भूमि का कानूनी रूप से खातेदार हो चुका हैं, क्योंकि अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं एवं नियमानुसार 10 वर्ष की अवधि पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने का प्रावधान व निर्देश हैं। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त आवंटी का प्रारम्भ से ही हैं। आवंटी सद्भावी कृषक है। नियमानुसार पुराने आवंटन निरस्तीकरण केवल त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक आदेश व गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या व्यपदेशन कर या आवंटन की पात्रता आवंटी को प्राप्त न होकर आवंटन करवाया गया हो, तब ही आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान हैं। इस प्रकरण में आवंटन के त्रुटिपूर्ण या अवैधानिक होने के तथ्य को वर्णित नहीं किया गया है। प्रकरण में पूर्व में मा. न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 13/2017 निर्णय दिनांक 11.06.2018 से निर्णय किया जा चुका हैं, जिससे यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के मध्येनजर खारिज योग्य हैं। विपक्षी ने उक्त प्रकरण संख्या 13/2017 निर्णय दिनांक 11.06.2018 के विरूद्व मा. न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर में अपील प्रस्तुत कर रखी हैं, जो जैरकार हैं। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कराये जाने का आदेश कराया जाये।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम बांसडा तहसील भीलवाडा की आ.न. 33/5 रकबा 1.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। जबकि उक्त प्रकरण की विषय वस्तु पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पूर्व में मा. न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 13/2017 निर्णय दिनांक 11.06.2018 से उभयपक्षकारानों की बहस सुनी जाकर एवं समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया गया। इस प्रकार तहसीलदार भीलवाडा को उसी विषय वस्तु पर दौबारा प्रकरण दर्ज कराने की आवश्यकता नही थी। इस प्रकार प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा